न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1. राजस्व अपील संख्या 91 / 2017

श्री कालू पुत्र श्री सांवरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम बगराई, तहसील भिनाय, जिला अजमेर

......अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, देवलियाकलां जिला अजमेर

......रेस्पोन्डेन्ट

2. राजस्व अपील संख्या 92 / 2017

1– श्री गोपाल
2– श्री लादू
3– श्री जगदीश
4– श्री सुखलाल

पुत्रगण श्री महादेव, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बगराई, तहसील भिनाय, जिला अजमेर

...अपीलान्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, देवलियाकलां जिला अजमेर

.....रेस्पोन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री अजीतसिंह वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक – 15.05.2018

उपरोक्त दोनों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2073 में श्री कालू पुत्र श्री सांवरलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम बगराई, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ने ग्राम बगराई के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1633 में से रकबा 0.10 हैक्टर पर बाडा बनाकर एवं श्री गोपाल, श्री लादू, श्री जगदीश एवं श्री सुखलाल पुत्रगण श्री

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner

महादेव, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बगराई, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ने ग्राम बगराई के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1633 में से रकबा 0.22 हैक्टर पर बाडा बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट नायब तहसीलदार देवलियाकलां के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या क्रमशः 02/2016 व 03/2016 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 03.08.2016 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही अनाधिकृत रूप से काश्त शुदा फसल को जब्त कर नीलामी करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 03.08.2016 से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस प्रारम्भ होने से पूर्व पैरोकार सरकार ने मियाद के बिन्दु पर प्रारम्भिक ऐतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील लगभग 11 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत कथनों का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट ने न्यायालय का ध्यान धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को दिनांक 24.07.2017 को पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने की जानकारी देने पर आक्षेपीय आदेश की जानकारी हुई। जिस पर दिनांक 25.07.2017 को आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर उसी दिन नकल प्राप्त होने पर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गई है। उन्होने कथन किया कि गुणावगुण पर प्रकरण प्रथम दृष्टया उनके पक्ष में है। अतः अपील प्रस्तुत करने में सद्भाविक रूप से हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जावे।

हमने मियाद बिन्दु पर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। हालांकि अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है किन्तु न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील मैरिट पर निर्णित किया जाना हम उचित समझते है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया। हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं करवाये गये एवं उन्हे पक्ष रखने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त तथा साम्यता के अनुतोष के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर एक साइक्लोस्टाइल आदेश पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पुराना कब्जा चला आ रहा है जो कि खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2073 एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर आवासीय मकान व बाड़ा बनाकर परिवार सहित

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

निवास कर रहा है। साथ ही बाड़े में अपीलान्ट का कृषि सामान व जानवरों का चारा पड़ा रहता है तथा उक्त बाड़े के अलावा अन्य कोई बाड़ा नहीं है। उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे के सम्बन्ध में कोई जांच व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नहीं मंगवाई जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही आधार बनाकर विवादित निर्णय पारित किया गया है जो कि काबिल निरस्त योग्य है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि पर पुराना कब्जा होने के कारण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर आवंटन/नियमन का अधिकारी है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपीलान्ट अपने पुराने समय से विवादित भूमि पर आवासीय मकान का निर्माण कर एवं बाड़ा बनाकर मय परिवार निवास करता चला आ रहा है, उनके परिवार के निवास हेतु अन्य कोई भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें बेदखल किया जाता है तो वे परिवार सहित बेघर हो जायेगे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा आवासीय मकान व बाडा बनाकर लगभग आधा बीघा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट ने स्वयं को पश्चातवर्ती अतिचारी बताते हुए विवादित भूमि का आवंटन/नियमन उनके पक्ष में करने का निवेदन किया है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हे विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं करवाये गये हैं, सरासर गलत एवं तथ्यों से परे हैं जबकि तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस अपीलान्ट के घर की दीवार पर चस्पा करते हुए दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से आवासीय मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15.05.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner